दिल्ली विकास प्राधिकरण
कार्मिक शाखा-V, कमरा संख्या बी-709
विकास सदन, आईएनए, नई दिल्ली-110023

एफ3(01)2020/पीबी-V/मिस./डीडीए/110 दिनांक: 02.06.2026

डीडीए ने मृतक डीडीए कर्मचारियों और चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पात्र आश्रितों से एमटीएस और माली के पदों के लिए 5% अनुकंपा नियुक्ति कोटा के अंतर्गत 31.12.2024 तक उपलब्ध 93 रिक्तियों के विचार हेतु संशोधित शपथपत्र/आवेदन आमंत्रित करने के लिए नोटिस संख्या एफ3(01)2020/पीबी-V/मिस./डीडीए/68 दिनांक 30.05.2025 जारी किया है।

2. उपर्युक्त नोटिस के संदर्भ में, मृतक कर्मचारी के आश्रितों से एमटीएस और माली के पदों के लिए 5% अनुकंपा नियुक्ति कोटा के अंतर्गत 31.12.2024 तक उपलब्ध 93 रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उपर्युक्त नोटिस के अनुसरण में, निर्धारित अंतिम तिथि अर्थात 01.09.2025 को या उससे पहले कुल 504 संशोधित शपथ पत्र प्राप्त हुए।

3. निर्धारित समयावधि के अंदर प्राप्त आवेदनों की जांच की गई और उन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया:

क. सूची 1-विचार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वे मामले जिनमें सामान्य दस्तावेज़ सत्यापन की आवश्यकता है (163 अभ्यर्थी): ये अभ्यर्थी (संख्या में) **विचार क्षेत्र** के अंतर्गत आते हैं। इनकी अभ्यर्थिता अस्थायी रहेगी और सामान्य **दस्तावेज़ सत्यापन**, लागू भर्ती नियमों के तहत पात्रता, मेडिकल फिटनेस, **चरित्र और पूर्ववृत्त** सत्यापन तथा अन्य सभी निर्धारित औपचारिकताओं की **पूर्ति के अधीन** होगी। **इनकी सूची अनुलग्नक 1 में संलग्न है।**

ख. **सूची 2- विचार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वे मामले जिनमें विशिष्ट दस्तावेज़/रिकॉर्ड सत्यापन की आवश्यकता है (47 अभ्यर्थी)** - ये अभ्यर्थी भी अस्थायी रूप से विचार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तथापि, सामान्य दस्तावेज़ सत्यापन, लागू भर्ती नियमों के अंतर्गत पात्रता, मेडिकल फिटनेस, चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन तथा अन्य सभी निर्धारित औपचारिकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त, उनके नाम के आगे उल्लिखित विशिष्ट दस्तावेज़/रिकॉर्ड की आवश्यकता की पूर्ति या सत्यापन के अधीन ही उनकी अभ्यर्थिता बनी रहेगी। **इनकी सूची अनुलग्नक 2 में संलग्न है।**

ग. सूची 3 - अपात्र/अस्वीकृत मामले (294 अभयर्थी) - ये अभयर्थी अपात्र/अस्वीकृत पाए गए हैं। ये मामले विचार क्षेत्र में नहीं आते हैं और इन्हें एमओएचयूए 100-पॉइंट फ़ॉर्मूले के अंतर्गत अंक नहीं दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, अंतिम तिथि (12.02.2026 तक) के बाद प्राप्त 8 आवेदनों को जांच में शामिल नहीं किया गया था और दिनांक 30.05.2025 के नोटिस के अनुसार इन्हें अस्वीकृत/समयवर्जित माना गया। प्रत्येक मामले के सामने अपात्र/अस्वीकृत होने का संबंधित कारण अंकित किया गया है। **उनकी सूची अनुलग्नक 3 के रूप में दी गई है।**

4. सूची 1 और सूची 2 दोनों के अंतर्गत अस्थायी रूप से चुने गए **अभ्यर्थियों** को सत्यापन के लिए अपेक्षित दस्तावेज तैयार करने के लिए **तीन** सप्ताह (23.06.2026 तक) का समय दिया गया है। यह अवसर **केवल मौजूदा** घोषणा-पत्र/दस्तावेजों के सत्यापन के लिए होगा, ना कि **अंतिम** तिथि के बाद नया दावा करने या आवेदन में कोई और सुधार **करने** के लिए। दस्तावेज सत्यापन दिनांक 24.06.2026 और **25.06.2026** को नागरिक सुविधा केंद्र, डी-ब्लॉक, ग्राउंड फ़्लोर, विकास **सदन**, दिल्ली विकास प्राधिकरण, आईएनए, नई दिल्ली - 110023 में

किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के लिए अपेक्षित दस्तावेज की सूची **अनुलग्नक 4 में दी गई हैं।**

5. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सूची-1 एवं सूची-2 केवल 93 उपलब्ध रिक्तियों हेतु अनंतिम रूप से पात्र अभ्यर्थियों की आगे की प्रक्रिया हेतु तैयार की गई हैं तथा इन्हें अंतिम मेरिट सूची, प्रतीक्षा सूची, चयन सूची अथवा नियुक्ति आदेश ना माना जाए। 93 उपलब्ध रिक्तियों हेतु नियुक्ति पत्र की अंतिम सूची, सत्यापन उपरांत पात्र पाए जाने वाले अभ्यर्थियों में से मेरिट के आधार पर तैयार की जाएगी। यह सूची मेडिकल फिटनेस, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन, लागू भर्ती नियमों के अनुपालन तथा अन्य सभी निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी। यदि किसी भी चरण पर यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी ने गलत जानकारी प्रदान की है, महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है, जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं अथवा उनके दावे का निष्पक्ष मूल्यांकन संभव नहीं है, तो उनका आवेदन अस्वीकार किया जाएगा।

6. कोई भी अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए 10 दिन (दिनांक 12.06.2026 तक) का समय दिया जाता है। यह अवसर किसी नए दावे को प्रस्तुत करने अथवा आवेदन में किसी प्रकार का सुधार करने के लिए नहीं है। यदि कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना हो, तो उसे उप निदेशक (कार्मिक)-V, को संबोधित करते हुए काउंटर संख्या-5, भूतल, डी-ब्लॉक, विकास सदन, दिल्ली विकास प्राधिकरण, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023 में प्रस्तुत कराया जाए।

यह सक्षम प्राधिकारी की अनुमोदन से जारी किया जाता है।

दीपांकर
2/6/26

(दीपांकर गुप्ता)
निदेशक (कार्मिक)-II